

## विधानसभा सं. 3924 अ. सं. 3924 एन. क्रमांक 3924

	संस्था का नाम	वर्ष 2006	वर्ष 2007	वर्ष 2008	वर्ष 2009	वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013
1.	चि० महा० भोपाल।	—	—	01	29	26	10	24	22
2.	चि० महा० इंदौर।	—	—	03	09	09	07	20	19
3.	चि० महा० ग्वालियर।	03	11	19	11	21	03	15	11
4.	चि० महा० जबलपुर।	—	—	14	27	18	05	21	09
5.	चि० महा० रीवा।	—	—	—	09	04	05	10	—
6.	चि० महा० सागर।	—	—	—	27	22	04	15	03
7.	शा० दंत चि० महा०, इंदौर।	01	01	02	06	03	—	02	—
8.	चिरायु मे.का. भोपाल।	—	—	—	—	—	02	01	03
9.	पीपुल्स मे.का.भोपाल।	—	—	—	03	03	03	16	15
10.	श्री अरविंदो मे.का. इंदौर	—	—	—	05	02	02	13	10
11.	आरडीगार्डी मे.का. उज्जैन	—	—	—	02	—	01	09	06
12.	इण्डेक्स मे.का.इंदौर।	—	—	01	02	03	03	01	01
13.	एल.एन. मे.का. भोपाल।	—	—	—	02	02	02	06	05

उप संचालक चिकित्सा शिक्षा

मध्य प्रदेश

अवर संचालक  
मध्यप्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग

## विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3924

केवल एक छात्रा निशा कनास (प्रवेश वर्ष 2008) द्वारा फर्जी तरीके से पीएमटी पास करके महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर से एमबीबीएस पाठ्यक्रम वर्ष 2013 में पूर्ण किया गया। फर्जी तरीके से प्रवेश की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित कर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को सूचित किया गया तथा एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद भोपाल को सूचित किया गया।

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग

  
उप संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश